न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

राजेश कुमार बनाम विमला देवी

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/183/2024

23.07.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 326 आराजी खसरा संख्या 795/1098/0.07, 795/1099/0.06, 797/0.44, 798/0.43 है0 वाके ग्राम गोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में आवागमन हेतू कायम रास्ते की भूमि में जबरन अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध व मिसमार न करे, ना ही उक्त रास्ते की भूमि को स्वयं की क्रयशुद्वा आराजी में शामिल कर आराजी को दीगर शख्सों को रहन बय हिबा आदि से मुंतकिल करे मुंतकिली का दस्तावेज पंजीवद्व करें न करावे, ना ही उक्त रास्ते में प्रार्थी को स्वयं के हिस्से की आराजी में आवागमन करने सहित आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करें। अन्त में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति यथावत् बनाये रखे जाने बावत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वर्णित विवादित आराजी में प्रार्थी गिर्राज सिंह ने अपने हिस्से की आराजी 3/4 के संबंध में समस्त अधिकार राजेश कुमार पुत्र भोरेलाल को दिनांक 07.07.2022 को मुख्तयार आम नियुक्त होने के उपरान्त अप्रार्थीनी संख्या 01 द्वारा आराजी का 16/100 हिस्सा जरिये रजि. बयनामा दिनांक 20.10.2022 को प्रार्थी गिर्राज से क्रय कर लिया। अतः अप्रार्थीगणं को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिुति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि हाल आराजी खाता संख्या 326 आराजी खसरा संख्या 795/1098/0.07, 795/1099/0.06, 797/0.44, 798/0.43 है0 वाके ग्राम गोट तहसील राजगढ़ जिला अलवर में आगामी आदेशों तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तथा भूमि के विक्रय/रहन पर पुर्ण प्रतिबंध रहेगा। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे।इस संबंध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 28.08.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला अलवर

28/8/24
पीठासीन [illegible] कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 12-09-24 को पेश हो।
रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
08/01/25 पत्रावली पेश। प्रकु. उप.। मूलवाद कि साथ दिनांक 07/02/25 को पेश हो। SDO पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 10/3/25 को पेश हो। रीडर	
11/3/25 पत्रावली पेश। प्रार्थी व वकील प्रार्थी उप.। मूलवाद सं. 1/168/24 को स्वयं वादी ने पेश किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र 212 भी पेश किया जाता है। इसी न्यायालय के किया जाता है। इसी न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 23/07/24 को भी इसी आधार पर निरस्त कर खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद सं. 1/168/24 के साथ संलग्न होकर जमा हो। SDO	3/3/25 5